

स्नातक प्रथम खण्ड

डॉ० गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, लोकतंत्र के गुण एवं दोष

(Meaning & Definition of Democracy, Merits & Demerits of Democracy)

आधुनिक विश्व में प्रचलित शासन प्रणालियों में लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र वस्तुतः सरकार या शासन का स्वरूप ही नहीं है अपितु "राज्य का एक प्रकार" और "समाज की एक व्यवस्था" भी है। आज प्रजातंत्र एक युगधर्म बन चुका है चाहे कोई शासन व्यवस्था, विचार या राजनेता क्यों न हो, सभी अपने आपको प्रजा प्रेमी घोषित करते हैं। वर्तमान काल को "साधारण आदमी का युग" कहा जाता है। वर्तमान प्रजातंत्र राज्य-प्रधान है और अनेक विचारधाराएँ मिश्रित हैं जैसे-राष्ट्रीय प्रजातंत्र, समाजवादी प्रजातंत्र जनवादी प्रजातंत्र मूलभूत या पंचायत प्रजातंत्र आदि। कोई इसे लोकप्रिय शासन, कोई पोलिक्रेसी, कोई दलीय तंत्र, निर्वाचित बहुतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र आदि नामों से पुकारा है। हिन्दी भाषा में "जनतंत्र" आर्थिक प्रजातंत्र के लिए तथा लोकतंत्र राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे इसके नाम में भी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। पश्चिम और अमेरिकी प्रजातंत्रों में यह एक जीवन प्रणाली बनकर राजव्यवस्थाओं में समा गया है।

लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा(Meaning & Definition of Democracy)

"लोकतंत्र" शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी(Democracy) का हिन्दी रूपांतरण है। जो दो ग्रीक शब्द डेमोस (Demos) और क्रेटिया (Kratia) से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ जनता और शासन होता है। इसलिए प्रजातंत्र का अर्थ जनता के शासन से लगाया जाता है। यही कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन कहा है। हेरोडोटस का मानना था कि लोकतंत्र "बहुसंख्यकों का शासन" है। इसके अलावे भी विभिन्न विचारकों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है—

ब्राइस के अनुसार — "लोकतंत्र शासन का वह प्रकार या रूप है जिसमें शासन शक्ति किसी विशेष वर्ग अथवा वर्गों में निहित न होकर सम्पूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित है।"

सीले के अनुसार – “लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो।”

डायसी के अनुसार – “लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो।”

ऑस्टिन के अनुसार – “लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है।”

हॉल के अनुसार – “लोकतंत्र राजनीतिक संगठन का वह रूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है।”

स्ट्रॉंग के अनुसार – “लोकतंत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो शासनों की सक्रिय स्वीकृति पर आधारित हो।”

लोकतंत्र (Democracy) – लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्पूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखकर शासन करती है। इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं।

उदारवादी लोकतंत्र के शासन, राज्य, समाज, नैतिक और आर्थिक स्वरूप है। साधारण तौर पर लोकतंत्र के दो भेद माने जाते हैं – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।

1. **प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy)** – जब प्रभुसत्तावन जनता शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, नीति निर्धारण, कानून निर्माण और अधिकारी नियुक्त कर उस पर नियंत्रण रखती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में स्वीट्जरलैण्ड के ऊरी, आउटर अपनजैल, ग्लारस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति है।

हर्नशा के अनुसार – “शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें सम्पूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है।”

2. **अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy)** – जब प्रभुसत्तावान जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का कार्य करती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, संघात्मक एवं एकात्मक स्वरूप के विश्व में विद्यमान हैं। भारत तथा ब्रिटेन के संसदीय अथवा मंत्रिमण्डलीय प्रणाली तथा अमेरिका अध्यक्षीय प्रणाली उदाहरण हैं।

हर्नशा के अनुसार – “यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान् जनता का शासन होता है।”

प्रारम्भ से ही प्रजातंत्र का मूल्यांकन इसके गुण-अवगुणों के आधार पर होता रहा है। प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने इसे सरकार का विकृत रूप बताया है। कुछ लोगों ने इसे भीड़तंत्र, तो कुछ लोग इसे बेवकूफों का शासन कहा है। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए इसे समस्त सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की कुंजी कहा है। जे. एस. मिल ने कहा है कि – “उत्तम शासन और जनता के चरित्र निर्माण की दृष्टि से लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन है।”

लोकतंत्र के दोष अथवा अवगुण(Demerits of Democracy)

1. **अयोग्यों/मूर्खों का शासन** – लोकतंत्र को जनता का शासन कहा गया है। अच्छे शासन के लिए ज्ञान, योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है लेकिन वर्तमान में अज्ञानी, अप्रशिक्षित और अयोग्य व्यक्ति निर्वाचित होते हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में, योग्यता से ज्यादा संख्या बल पर ध्यान दिया जाता है तथा सभी व्यक्ति योग्यता की दृष्टि से समान भी नहीं होते हैं। जिसके कारण अयोग्य व्यक्ति भी निर्वाचित हो जाता है। एच.जी.वेल्स के अनुसार प्रजातंत्र **बुद्धिहीनों तथा अयोग्यों का शासन** है। प्लेटो ने इसे “अज्ञानता का राज्य” कहा है। लेकी के अनुसार “लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, जिसका संचालन सबसे अधिक दरिद्र और सबसे अज्ञानी लोगों के हाथों में होता है, जिसकी संख्या स्वभावतः अधिक होती है।”
2. **वीर पूजा(Hero Worship)** – लोकतंत्र वीर पूजा की भावना पर आधारित है। प्रजा अपनी अज्ञानता के कारण एक नेता को पूजने लगती है। इसी वीरपूजा के कारण फ्रांस में नेपोलियन और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बने।
3. **दलीय प्रणाली का अहितकर प्रभाव तथा बहुमत का दुरुपयोग** – वर्तमान समय में प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है और ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दलों का एक मात्र उद्देश्य शासन की शक्ति प्राप्त करना है। चुनाव के समय टिकट प्राप्त करने एवं निर्वाचित होने के लिए प्रतिनिधि स्वतंत्र विचारधारा की बलि चढ़ाकर, उस राजनीतिक दल के बहकावे में आकर, जनता के झूठे वादा करके तथा प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा बहुमत के आधार पर अल्पसंख्यकों के हितों का गला घोटने लगता है।
4. **सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एवं समय का अपव्यय** – प्रजातंत्र में चुनाव के समय काफी धन की आवश्यकता होती है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होने पर बीच में ही मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाती है जिसमें धन के साथ-साथ समय की भी काफी बर्बादी होती है। धनी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति पैसे के बल पर गरीबों के मत को खरीदकर निर्वाचित हो जाते हैं और जीतने के बाद धनवानों के हितों पर ही ध्यान देते हैं। एक बार निर्वाचन कराने में काफी राशि का अपव्यय होता है। जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है।

5. **लोकतान्त्रिक समानता—एक भ्रम** — लोकतंत्र को समानता की दृष्टि से देखा जाता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में चुनाव प्रक्रिया एवं व्यवस्था काफी व्ययसाध्य हो गया है जिसके कारण एक गरीब व्यक्ति कभी चुनाव में खड़ा होने तथा विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। समानता की घोषणा कर देने से ही समानता की स्थापना नहीं की जा सकती है जब तक धरातल पर राजीतिक समानता, आर्थिक समानता, समाजिक समानता का हक लोगों को नहीं मिल सकेगा।
6. **अनुत्तरदायी शासन** — प्रजातंत्र में शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। व्यवहार में, प्रजातंत्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टाल देते हैं। हर्नशा के अनुसार — “लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता है।”
7. **मतदाताओं की उदासीनता** — लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रियता पर आधारित व्यवस्था है लेकिन व्यवहार में चुनाव के समय मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिलती है। सरकार के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान एवं दलों के प्रतिनिधियों के अथक प्रयास के बावजूद भी मतदान का प्रतिशत 50—60 प्रतिशत रहता है जिसके कारण लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है।
8. **पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास** — लोकतंत्र में यह आशा की जाती है कि सुयोग्य, ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रूचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में ठीक इसके विपरीत देखने को मिलता है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीवकोपार्जन में लगे रहते हैं और किसी व्यवसाय एवं अन्य पेशे में अयोग्य एवं असफल व्यक्ति, राजनीति को अपना जीवकोपार्जन का साधन बना लेते हैं और भ्रष्ट साधनों के आधार पर हमेशा आर्थिक शक्ति संचित करने की चेष्टा करते रहते हैं।
9. **वर्ग विरोध को प्रोत्साहन** — लोकतंत्र वर्ग विरोध एवं वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित करता है। लोकतंत्र में शासन पूँजीपति के हाथों में चला जाता है जिससे धनी और गरीब लोग के बीच लम्बी दीवार खड़ी हो जाती है। इससे देश का वातावरण अशान्त हो जाता है। लार्ड ब्राइस ने लोकतंत्र की दोषों को निम्न प्रकार बताया है।

(1) शासन व्यवस्था को विकृत करने में धन—बल का प्रयोग।

(2) राजनीति को लाभ का पेशा बनाने की प्रवृत्ति।

(3) शासन व्यवस्था में अधिक व्यय।

(4) समानता के सिद्धांत का दुरुपयोग।

(5) दलबन्दी पर अत्यधिक बल।

(6) विधायिका सभाओं के सदस्य तथा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा कानून पारित करते समय मतों को ध्यान में रखना और अनुचित व्यवस्था के भार को सहन करना।

लोकतंत्र के गुण(Merits of Democracy)

1. **जनमत पर आधारित** – प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण है कि यह जनमत की सहमति पर संचालित होती है। इसका मूल आधार जनता की सामान्य इच्छा एवं मत है। जनता के प्रतिनिधि ही कानूनों का निर्माण करते हैं। लिंकन के अनुसार— “प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन” है।
2. **समानता, स्वतंत्रता तथा मातृत्व पर आधारित** – प्रजातंत्र अपने उच्च तथा मौलिक आदर्शों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत जाति, वंश, धर्म, लिंग इत्यादि का भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में एक समान होता है। इसलिए लावेल ने ठीक ही कहा है कि “पूर्ण जनमत में किसी को यह शिकायत नहीं रहती है कि उसकी सनुवाई नहीं हुई है।”
3. **जनता का नैतिक उत्थान** – प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, और नैतिक चरित्र को बढ़ाने का काम करता है। जनता में राजनीतिक शक्ति प्रदान कर उसके अन्दर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। इससे उसके बौद्धिक एवं मानसिक गुणों का विकास होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तित्व का विकास और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
4. **राजनीतिक जागृति** – जनता चुनाव में भाग लेकर अपने मौलिक अधिकारों को समझती है और असक्षम नेतृत्व को अपने मताधिकार के द्वारा सत्ता से बाहर करती है।
5. **क्रांति या विद्रोह का भय नहीं** – लोकतंत्र में क्रांति की सम्भावना काफी कम हो जाती है क्योंकि लोकमत के द्वारा ही शासन का संचालन होता है। समय-समय पर चुनाव होने के कारण सरकार को जनता नियंत्रित करती है और असंतोष होने पर मतदान के माध्यम से उसे अपदस्थ कर देती है।
6. **सामाजिक और आर्थिक सुधार** – लोकतंत्र सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों से उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण उपास्थापित करने में अधिक सफल हुआ है। इसमें प्रगतिशील कानूनों द्वारा सामाजिक आर्थिक सुधार एवं लोककल्याण का कार्य संभव है।
7. **लोकप्रिय और स्थायी सरकार** – यह लोकप्रिय शासन प्रणाली इसलिए है कि इसमें जनता का अधिक ख्याल रखा जाता है। गार्नर ने कहा है – “सार्वजनिक चुनाव, सार्वजनिक नियंत्रण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व में अन्य किसी भी शासन से अधिक कार्यक्षमता होती है।”
8. **विज्ञान का प्रोत्साहक** – लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। लोकतंत्र और विज्ञान, दोनों के नैतिक मूल्य समान होने के कारण, अभिव्यक्ति और प्रयोग तक पहुँचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है।